

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

09 / 2024

प्रविष्टि दिनांक

15.02.2024

गंगाराम पुत्र केसरा जाति गुर्जर निवासी दादिया तहसील व जिला टोंक राज०

—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार टोंक जिला—टोक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय

नायब तहसीलदार टोंक दिनांक 12.01.2024 मिसल नम्बर 349 / 2023

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेण्ट

निर्णय

दिनांक 13.03.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 87 / 1 व खसरा नम्बर 577 / 631 में से कुल रकबा 1.3279 है० किस्म बजड-1 / बारानी-3 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक में राजकीय भूमि पर सरसो की फसल काशत कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 128 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91(3) में दिये गये आज्ञापक प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन नही किया है। अतिक्रमी के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना आज्ञापक होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने गत वर्ष कोनसी पत्रावली से अपीलांट को बेदखल किया गया है का अपने निर्णय में उल्लेख नही किया है। अपीलांट 86 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है, जो विगत 10-12 वर्षों से घर पर रहकर ही आराम करता है तथा उसे खेती बाड़ी का काम छोड़े हुए 10-12 वर्ष हो गये है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट उक्त जमीन पर ना तो कभी काशत करता था तथा ना ही वर्तमान में उसकी ऐसी हालत है कि वह उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर सके। पटवारी हल्का ने बिना जांच किये तथा बिना मौके पर गये ही अपीलांट के विरुद्ध उक्त

जिला कलेक्टर
टोंक

अतिक्रमण कि रिपोर्ट पेश कि है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर 87/1 व खसरा नम्बर 577/631 मे कुल रकबा 1.3279 है० किस्म बजड-1/बारानी-3 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक मे राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार टोंक द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की और से कजोड की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 87/1 व 577/631 मे कुल रकबा 1.3279 है० किस्म बजड-1/बारानी-3 वाके ग्राम दादिया तहसील टोंक पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर सरसो की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 596/2023 निर्णय दिनांक 30.01.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 07.03.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नही है,ना ही पूर्व मे कब्जा था तथा ना ही वर्तमान मे कब्जा है तथा ना ही भविष्य मे कब्जा करूंगा। कब्जा छोड दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 12.01.2024 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्ट पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सी. ए. झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक